

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(1)स्था / मंत्रा / डीपीसी / आईसीडीएस / 14 /

जयपुर, दिनांक : 27-4-18

आदेश

70345

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 23-03-2018 को सम्पन्न बैठक में की गयी सिफारिश के आधार पर गैर टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को चयन वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर लेवल पे मैट्रिक्स एल-9 में पदोन्नत किया जाता है :-

वर्ष 2015-16 (गैर टीएसपी)

क्र.सं.	नाम कार्मिक	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी दिनांक
1	श्री नन्दलाल शर्मा	सामान्य	01.04.2015
2	श्री नवल किशोर गोयल	सामान्य	01.04.2015
3	श्री गजेन्द्र राय मिश्रा	ओ.बी.सी	01.04.2015
4	श्री महेश कुमार कुमावत	ओ.बी.सी	01.06.2015
5	श्री जितेश सोलंकी	ओ.बी.सी	01.06.2015
6	श्री रवि कुमार पुरोहित	ओ.बी.सी	01.09.2015
7	श्री अशोक कुमार गोठवाल	अनुसूचित जाति	01.02.2016
8	श्रीमती गीता देवी	अनुसूचित जाति	01.02.2016

वर्ष 2015-16 हेतु निम्न कनिष्ठ सहायक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इन पर विचार आस्थगित (Deferred) रखते हुए प्रत्येक के लिए एक-एक पद आरक्षित रखे जाने की सिफारिश की गयी-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी दिनांक
1	श्री मुजिब हुसैन	सामान्य	01.02.2016

वर्ष 2016-17 (गैर टीएसपी)

क्र.सं.	नाम कार्मिक	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी दिनांक
1	श्री सुनील कुमार सुखीजा	ओ.बी.सी	01.04.2016
2	श्रीमती पायल जैन	सामान्य	01.04.2016
3	श्री रतन लाल	ओ.बी.सी	01.04.2016
4	श्री कुन्दन सिंह बाघेला	सामान्य	01.04.2016
5	श्री हनुमान सिंह	सामान्य	01.04.2016
6	श्री रणजीत सिंह	ओ.बी.सी	01.04.2016
7	श्रीमती कमला देवी	ओ.बी.सी	01.04.2016
8	श्री महावीर सिंह	सामान्य	01.04.2016
9	श्री दीपक कुमार	सामान्य	01.04.2016
10	श्री अंजु अरिचवाल	सामान्य	01.04.2016

५

11	श्री नरेश कुमार	अनुसूचित जाति	01.04.2016
12	श्री केदार मीणा	अनुसूचित जनजाति	01.08..2016

विचारण सीमा में वरिष्ठता क्रम में आने वाले निम्न कार्मिकों के खिलाफ सीसीए नियम 16 के तहत जांच लम्बित होने एवं न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के कारण लिफाफा बन्द करने की सिफारिश की गई:-


1- श्री दिनेश सिंह चारण, कनिष्ठ सहायक को विभाग के आदेश दिनांक 26.05.11 के द्वारा नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच लम्बित है। कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान में विभागीय जांच लम्बित होने के कारण इनका वर्ष 2016-17 (रिक्ति दिनांक 01.04.16) में पदोन्नति का लिफाफा बन्द किये जाने की सिफारिश की गयी।

2- श्री राजेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ सहायक का माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर के न्यायालय में वाद संख्या 137/2008 विचाराधीन होने के फलस्वरूप इनका वर्ष 2016-17 (रिक्ति दिनांक 01.04.16) में पदोन्नति का लिफाफा बन्द किये जाने की सिफारिश की गयी।

विचारण सीमा में वरिष्ठता क्रम में आने वाले श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ सहायक के वर्ष 2002 से पूर्व की 01 एवं वर्ष 2002 के पश्चात् 02 कुल 3 जीवित संतान होने के कारण इन्हें नियमानुसार पदोन्नति वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम बार डीबार किया गया।

चयन वर्ष 2016-17 के विरुद्ध विचारणीय सीमा में अनुसूचित जनजाति संवर्ग का 01 अभ्यर्थी ही उपलब्ध होने के कारण अनुसूचित जनजाति संवर्ग के 5 पद बैकलॉग रहेगा। जिन्हे आगे के वर्षों में भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।


पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(1)स्था / मंत्रा / डीपीसी / आईसीडीएस / 14 /
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

जयपुर, दिनांक 27-4-18

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण
5. उप निदेशक (प्रशिक्षण/विखाका) मुख्यालय जयपुर।
6. सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
7. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला
8. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय।
10. सम्बन्धित कार्मिक श्री
11. व्यक्तिगत/आदेश पत्रावली


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर